

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-4/STA-(पिविघ)-04/2016

प्रेषक,

नवीनचन्द्र झा (भा0प्र0से0),
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।
प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक

विषय: परमिट के अनुरूप निर्धारित शर्तों पर वाहन का परिचालन नहीं करने एवं बिना परमिट के अवैध रूप से वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक-26.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में परिवहन विभाग के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक में "बार-बार मोटरवाहन अधिनियम का दुरुपयोग करने वाले दोषियों के अनुज्ञा पत्र (Prmit) को रद्द करने की दिशा में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने" के संबंध में निदेश प्राप्त हुआ है ।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन करने तथा निर्धारित भाड़े से अधिक भाड़ा यात्रियों से वसूल करने एवं बिना परमिट के अवैध रूप से वाहनों का परिचालन करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निदेश दिया जाता है कि विभाग के सभी स्तर के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त निदेश के आलोक में पुरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर बसों/वाहनों का औचक निरीक्षण/जांच कार्य करेंगे तथा अवैध रूप से बिना परमिट के संचालित एवं परमिट के शर्तों का उल्लंघन कर पर्याप्त वाहनों पर नियमानुसार जक्ति, शमन आदि की कार्रवाई करेंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 818

पटना, दिनांक 15/02/2016

प्रतिलिपि:- 1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

✓ 2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित पदाधिकारी को उनके ई-मेल पर तथा विभागीय वेब-साईट पर इस पत्र को अपलोड करवाना सुनिश्चित करें ।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।